

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक-वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1495 /2022.लखनऊ:दिनांक::अक्टूबर, 06 ,2022

--:संशोधित आदेश :-

मुख्यालय के आदेशांक-1490/22 दिनांक 03.10.2022 द्वारा माह-नवम्बर 2022 का युगल पीठ कार्यक्रम परिचालित किया गया है। उक्त आदेश में क्रमांक 15 पर पीठ-अलीगढ़ में दिनांक 03.11.2022 से 05.11.2022 तक गठित युगल में पीठ-3 वाराणसी के सम्मुख टंकण त्रुटिवश "विभागीय" टंकित हो गया है, जिसके स्थान पर "न्यायिक" पढ़ा जाए।

आदेश उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है, शेष स्थिति यथावत रहेगी।

ह0/06.10.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/पूर्ण पीठ/ 1495 /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3 वाराणसी, पीठ-अलीगढ़ व पीठ-2 आगरा।
2. मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

( तरुण कुमार )

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।